| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्र.सं. 15/2024 जीसीएमएस : 2024/155<br>जगमेल सिंह बनाम राजकुमार आदि<br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट | नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये |
|---|---|---|

04.03.2025

**—:: निर्णय ::—**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्त. अधि. प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि चक 6 एसटीबी बी मु.नं. 7 कि.नं. 16 ता 25 की कुल 2.530 है. में आने जाने व कृषि यन्त्रों को लाने–ले–जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण राजकुमार भूतना व सुमित्रा देवी की भूमि चक 6 एसटीबी बी के मु.नं. 7 प.नं. 212/369 कि.नं. 11, 10 व 1 प्रत्येक में $1\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की मदों को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की भूमि कि.नं. 11,10,1 में से रास्ता मंजूर किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है रास्ता मंजूर करने हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से बिना किसी प्रतिकर के रास्ता मंजूर करने हेतु निवेदन किया है। इस पर प्रार्थी द्वारा आपसी सहमति आधार पर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहा गया है, अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता स्वीकृत करने पर किसी प्रकार का एतराज नहीं होने व रास्ता मंजूर करने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा बिना किसी प्रतिकर के रास्ता स्वीकृत किये जाने पर सहमति प्रकट की गयी है। चूंकि प्रकरण में कोई विवाद नहीं है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी से सहमत हैं और सहमति आधार पर बिना किसी प्रतिकर के रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

**क्रियान्वयन आदेश**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण की भूमि चक 6 एसटीबी बी के मु.नं. 7 प.नं. 212/369 कि.नं. 11, 10 व 1 प्रत्येक में $1\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ बिस्वा पश्चिमी पासा गै.मु. रास्ता बिना किसी प्रतिकर/मुआवजा के पक्षकारान की सहमति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:18:29 IST
Reason: SelfAttested

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned with CamScanner